

14.45 hrs.

Title: Introduction of the Constitution (Scheduled Castes And Scheduled Tribes) Orders (Amendment) Bill, 2002

सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री (डॉ.सत्यनारायण जटिया) : महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूँ कि संविधान (अनुसूचित जातियाँ) आदेश, 1950 और संविधान (अनुसूचित जनजातियाँ) आदेश, 1950 में और संशोधन करने वाले विधेयक, जिससे मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र राज्यों की ऐसी कतिपय अनुसूचित जातियाँ और अनुसूचित जनजातियों के निर्वासित व्यक्तियों को, जो नर्मदा नदी पर सरदार सरोवर परियोजना के कारण विस्थापित हो गए हैं और गुजरात राज्य में बसा दिए गए हैं या वहाँ बसाये जाने वाले हैं, गुजरात राज्य के संबंध में विनिर्दिष्ट अनुसूचित जातियाँ और अनुसूचित जनजातियों की सूचियों में सम्मिलित करने का उपबंध किया जा सके, को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाए।

MR. DEPUTY-SPEAKER: The question is:

"That leave be granted to introduce a Bill further to amend the Constitution (Scheduled Castes) Order, 1950 and the Constitution (Scheduled Tribes) Order, 1950 so as to provide for inclusion of certain Scheduled Castes and Scheduled Tribes oustees of the States of Madhya Pradesh and Maharashtra, who have been displaced due to Sardar Sarovar Project on the Narmada River and are settled or may be settled in the State of Gujarat, in the lists of Scheduled Castes and Scheduled Tribes specified in relation to the State of Gujarat. "

The motion was adopted.

डॉ.सत्यनारायण जटिया : उपाध्यक्ष महोदय, मैं विधेयक पुरःस्थापित करता हूँ।

* Published in Gazette of India, Extraordinary, Part-II, Section 2, dated 8.3.2002